



ICAR-NATIONAL RESEARCH CENTRE ON POMEGRANATE

(Indian Council of Agricultural Research)

NH-65, Solapur-Pune Highway, Kegaon, Solapur 413 255

Tel: 0217-2354330, 2350074, 2350263, Fax: 0217-2353533

Website: nrcpomegranate.icar.gov.in



सोलपुर लाल किस्म के पौधों की बुकिंग हेतु आवेदन

Application for booking planting material of pomegranate var. Solapur Lal

(ON FIRST CUM FIRST SERVE BASIS)

[Distribution of planting material: 4th week of September, 2022 onwards]

Salient characteristics of Bio-fortified Pomegranate variety Solapur Lal:

- Fruit maturity : 160-165 days after anthesis
- Potential Yield (6th year onwards) : 23-27 t/ha
- Fruit size : Smaller than Bhagawa
- TSS : Around 17.5°B
- Seed texture : Medium hard (harder than Bhagawa)
- Rind thickness : Medium
- Iron content : Higher than Bhagawa
- Zinc content : Higher than Bhagawa
- Anthocyanin, ascorbic acid : Higher than Bhagawa
- Fruit colour : Red (Deeper red than Bhagawa)
- Aril colour & size : Dark red, bold
- Purpose : Suitable for processing, juice & table purpose
- Reaction to bacterial blight : Similar to Bhagawa (Susceptible)

1.	नाम/ Name of the farmer/applicant	:	
2.	पता/ Postal Address	:	
3.	मोबाइल नंबर/Mobile No.	:	
4.	ई-मेल/ E-mail Id and AADHAAR No.	:	
5.	What's app No., if available	:	
6.	खेती वाली जमीन का विवरण/ Total Agricultural Land as per 7/12 (Attach copy of 7/12)	:	
7.	Whether existing pomegranate grower/new grower	:	
8.	कुल अनार के क्षेत्रफल/ Area under pomegranate cultivation (acres)	:	

.....
SIGNATURE & DATE

NOTE

Maximum permissible quantity of saplings per farmer: **25 nos. only**

Cashless mode of payment only (credit/debit card, online transfer, DD) and payment must be done at the time of delivery only.

NOTE: Authority Letter (if one farmer is receiving planting material on behalf of other farmer) and ID card (AADHAAR card) of farmers will be required at the time of delivery.

Booking will be closed after 150 entries.

FOR OFFICE PURPOSE ONLY:

1. Booking No. :
2. Date of booking :
3. Quantity of planting material (Nos.) granted :

(Submit the application to: Mr. D.T. Chaudhari, Sr. Technical Officer, ICAR-NRCP, Kegaon, Solapur 413 255 (MS). (T): 0217-2354330 Extn: 27, duly filled in scanned copy of application form should be sent to nrcpomegranateqpm123@gmail.com or nrcpomegranate@gmail.com)

‘सोलापुर लाल’ किस्म की विशेषताएँ

फल पक्वता कालावधी	: एंथेसिस के बाद १६० से १६५ दिन
उत्पादन क्षमता (६ साल से जादा उम्र का पौधा)	: २३ से २७ टन/हे.
फल का आकार	: भगवा से छोटा
टीएसएस	: १७.५ ब्रीक्स के करीब
बीज का कठोरपण	: भगवा किस्म से अधिक कडक
छिलके की मोटाई	: मध्यम
लोह	: भगवा किस्म से अधिक
जस्त	: भगवा किस्म से अधिक
अँन्थोसायनिन, अँस्कॉर्बिक ऐसिड	: भगवा किस्म से अधिक
फल के छिलके का रंग	: लाल
दाने का रंग और आकार	: गहरा लाल, बोल्ड
उद्देश	: प्रसंस्करण, रस और खाने के लिए योग्य
बैक्टीरियल ब्लाइट प्रतिकार क्षमता	: भगवा किस्म के समान (संवेदनशील)

‘सोलापुर लाल’ किस्म की बुकिंग के लिए मार्गदर्शक नियमावली

1. कोविड - १९ के फैलाव को ध्यान में रखते हुए “सोलापुर लाल बुकिंग” २०२२ केवल ऑनलाईन मोड पर स्वीकार की जाएगी।
2. जमीन के एक दस्तावेज (जैसे महाराष्ट्र और गुजरात: 7/12 उतारा, कर्नाटक और आंध्रप्रदेश: पहाणी, तमिलनाडू: पत्ता-सिता, अन्य राज्य रजिस्ट्री) पर प्रति किसान २० पौधे प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
3. जमीन के दस्तावेज कम से कम तीन माह तक वैध हो।
4. इस से पहले जिन किसानों ने पौधे प्राप्त किये हैं वह सूची में पुन्हा शामिल नहीं किये जाएंगे।
5. दस्तावेज पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुहर हो।
6. पौधे सितम्बर के चौथे हफ्ते से वितरित किए जाएंगे।
7. ध्यान रहे बुकिंग के लिए जिस ई-मेल से दस्तावेज प्राप्त होंगे केवल उसी ई-मेल पर बुकिंग रेफरन्स नंबर भेजा जाएगा।
8. पौधा वितरण के समय पौधा मूल्य भुगतान हेतु किसान भाईयों के पास ए टी एम कार्ड होना अनिवार्य है। जिनकी जमीन का दस्तावेज जोड़ा है, उनका आधार कार्ड झेरॉक्स एवं प्रतिज्ञापत्र कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
9. कोई भी अधूरा/अस्पष्ट/गलत प्रोफॉर्मा या दस्तावेज विचाराधिन नहीं होगा।
10. बुकिंग के लिए प्रोफॉर्मा को प्रिंट कर के सम्पूर्ण जानकारी भर कर, केवल प्रोफॉर्मा और संबन्धित किसान के जमीन के दस्तावेज की स्पष्ट फोटो/झेरॉक्स, स्कैन/पीडीएफ कर के प्रोफॉर्मा में दी गयी मेल पर साथ-साथ भेजे। अलग-अलग न भेजे।
11. किसी भी प्रकार के न्यायिक मामलों पर निदेशक राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र, सोलापुर का फैसला सर्वमान्य होगा।
12. यह पौधे आपको फल उत्पादन हेतु दिये जा रहे हैं अतः इन पौधों का व्यवसायिक स्तर पर गूटी कलम बांधने हेतु इस्तेमाल ना करें।